न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 06/2024 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

01. विक्रम सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह जाति–राजपूत, उम्र–वयस्क, निवासी–गाजुणा, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा (राज0)
—–वादीगण

बनाम

01. किशन पुत्र श्री नानू खटीक जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी कालादेह, तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)।
02. मांगू पुत्र श्री नानू खटीक जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी कालादेह, तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)।
03. भैरू पुत्र श्री नानू खटीक जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी कालादेह, तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)।
04. श्रवण लाल पुत्र श्री सुवा लाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी गाजुणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)।
05. कैलाश पुत्र श्री सुवा लाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी गाजुणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)।
06. सांवर लाल पुत्र श्री रामलाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गाजुणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
07. गोविन्द पुत्र श्री भोपाल सिंह जाति–राजपूत, उम्र–वयस्क, निवासी–गाजुणा, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा (राज0)।
08. धापू कंवर पत्नी श्री भोपाल सिंह जाति–राजपूत, उम्र–वयस्क, निवासी–गाजुणा, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा (राज0)।
09. नरपत सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह जाति–राजपूत, उम्र–वयस्क, निवासी–गाजुणा, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा (राज0)।
10. मीना कंवर पुत्री श्री भोपाल सिंह जाति–राजपूत, उम्र–वयस्क, निवासी–गाजुणा, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा (राज0)।
11. सीमा कंवर पुत्री श्री भोपाल सिंह जाति–राजपूत, उम्र–वयस्क, निवासी–गाजुणा, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा (राज0)।
12. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा

—–प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा – 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–
01 श्री मुकेश जैन — अधिवक्ता वादी
02 एक तरफा कार्यवाही — प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 उपस्थित
03 पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

दिनांक 03.02.2025

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183 – राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम गाजुणा पटवार हल्का शिवपुर भू.अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ़ में अंकित

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आराजी नंबर–1014, रकबा–0.1897 हैक्टर, आराजी नम्बर–3112, रकबा–0.4553 हैक्टर, आराजी नम्बर–3313, रकबा–0.2023 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा–0.8473 हैक्टर भूमि स्थित है जो वादी के नाम दर्ज है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराने हेतु न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करेड़ा के समक्ष पेश किया जो प्रकरण संख्या 208/2023 पर दर्ज होकर दिनांक 12.05.2023 को निर्णित हुआ। निर्णय की पालना हेतु दिनांक 07.12.2023 को राजस्व अधिकारियों द्वारा पत्थरगढ़ी की गई जिसमें मौके पर आराजी नंबर–1014, रकबा–0.1897 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03, आराजी नम्बर–3313, रकबा–0.0253 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 04 व 05 तथा आराजी नम्बर–3112, रकबा–0.0253 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 06 का अवैध कब्जा पाया गया तथा इस पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 को पत्थरगढी अनुसार वादी की भूमि से कब्जा छोड़ कर वादी को सिपुर्द करने करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। इस कारण वाद पत्र पेश कर भू–अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम गाजुणा पटवार हल्का शिवपुर के आराजी नंबर–1014, 3112, 3313, रकबा क्रमशः–0.1897, 0.0253, 0.0253 हैक्टर पर अवैध कब्जा है। उसे हटाकर वादी को सुपुर्द करने का निवेदन किया।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। नियत दिनांक को प्रतिवादीगण को विधिवत् तीन मर्तबा रूक रूक कर आवाजें लगाई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी 01 लगायत 12 के वि☺ एक तरफा कार्यवाही के आदेश किए गए। वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारन के अधिवक्त की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, पटवार हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढी आदेश पर तैयार किए गए मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट से भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है। अतएवः

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम गाजुणा के खाता सख्या 163 मे वर्णित आराजी नंबर–1014, 3112, 3313, रकबा क्रमशः–0.1897, 0.0253, 0.0253 हैक्टर पर किये गये अवैध कब्जे का हटाया जाकर वादी को सिुपर्द कराया जावें। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिकी जारी हो ।पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02..2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 06/2024 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

01. विक्रम सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह जाति–राजपूत, उम्र–वयस्क, निवासी–गाजुणा, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा (राज0)
––वादीगण

बनाम

01. किशन पुत्र श्री नानू खटीक जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी कालादेह, तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)।
02. मांगू पुत्र श्री नानू खटीक जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी कालादेह, तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)।
03. भैरू पुत्र श्री नानू खटीक जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी कालादेह, तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)।
04. श्रवण लाल पुत्र श्री सुवा लाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी गाजुणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
05. कैलाश पुत्र श्री सुवा लाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी गाजुणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
06. सांवर लाल पुत्र श्री रामलाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गाजुणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
07. गोविन्द पुत्र श्री भोपाल सिंह जाति–राजपूत, उम्र–वयस्क, निवासी–गाजुणा, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा (राज0)।
08. धापू कंवर पत्नी श्री भोपाल सिंह जाति–राजपूत, उम्र–वयस्क, निवासी–गाजुणा, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा (राज0)।
09. नरपत सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह जाति–राजपूत, उम्र–वयस्क, निवासी–गाजुणा, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा (राज0)।
10. मीना कंवर पुत्री श्री भोपाल सिंह जाति–राजपूत, उम्र–वयस्क, निवासी–गाजुणा, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा (राज0)।
11. सीमा कंवर पुत्री श्री भोपाल सिंह जाति–राजपूत, उम्र–वयस्क, निवासी–गाजुणा, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा (राज0)।
12. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

–––

वादी की ओर से श्री मुकेश जैन, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 03.02..2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वार राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम गाजुणा के खाता सख्या 163 मे वर्णित आराजी नंबर–1014, 3112, 3313, रकबा क्रमशः–0.1897, 0.0253, 0.0253 हैक्टर पर किये गये अवैध कब्जे का हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावें। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

यह डिक्री आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा